



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर - 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर - 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur - 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur - 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



क्र: 17006/1/2022/जो.रि.रो.-I/वन विभाग/863

दिनांक: 31.03.2022

प्रेषित

उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषय : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section - I, Dangiawas (0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

सन्दर्भ : (1) इस कार्यालय का पत्रांक 17006/1/2022/जो.रि.रो./ वन/362 दिनांक 07.02.2022
(2) आपका पत्रांक एफ(104)एफ.सी.ए./उवसं/2019-20/11279 दिनांक 07.02.2022
(3) इस कार्यालय का पत्रांक 17006/1/2019/जो.रि.रो./वन/124 एवं 116 दिनांक 16.01.2019 एवं 78 दिनांक 11.01.2019 (प्रति संलग्न)।
(4) आपका पत्रांक एफ()एफ.सी.ए./उवसं/2018/11707 दिनांक 01.01.2019 एवं 11748 दिनांक 02.01.2019
(5) अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए जयपुर के कार्यालय पत्रांक 8बी/राज/06/30/2018/एफसी/ 560 दिनांक 31.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से 11 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सन्दर्भित पत्र (4) द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना किए जाने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया। इस कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र (3) द्वारा उक्त बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना की जा चुकी है।

तत्पश्चात सन्दर्भित पत्र (2) द्वारा आपने संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र (1) के माध्यम से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था। तत्पश्चात Online Portal पर नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि इस कार्यालय द्वारा जमा की जा चुकी है जिसकी सूचना आपको पत्रांक 742 दिनांक 17.03.2022 द्वारा दी गई थी। अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए जयपुर के पत्र दिनांक 31.12.2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति की सभी शर्तों की अनुपालना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का विवरण	इस कार्यालय का प्रत्युत्तर
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवन्त वनभूमि (7.534 X 2 = 15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रु. 24,16,907 के सम्बन्ध में राशि रु. 20,61,755 जरिये आरटीजीएस नम्बर CNRBR52019010500584426 दिनांक 05.01.2019 को हस्तान्तरित कर दिये गये थे (Annexure -2) शेष राशि रु. 3,55,152.00 (24,16,907 - 20,61,755) जरिये आरटीजीएस नम्बर P067220157297236 दिनांक 08.03.2022 को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं (प्रति संलग्न) (Annexure -1)
2.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.एस. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एनपीवी हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(क) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए राशि रु. 32,99,892.00 जरिये आरटीजीएस नम्बर CNRBR52019010500684426 दिनांक 05.01.2019 को हस्तान्तरित कर दिये गये थे (ख) जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (Annexure -2) (ग) वचनबद्धता संलग्न है। (Annexure -3)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



3	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लॉट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नहीं है।	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लॉट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नहीं है। जिसके स्पष्टीकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा उक्त खसरा में नामान्तरण संख्या 1226 दिनांक 04.01.2019 को रकबा 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद एवं तरमीम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत है। (Annexure -4) वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -5)
4	इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संघ में वन रक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक Self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -6)
5	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तंभ के आगे Forward एवं पीछे backward उनकी दिशा bearing भी लिखनी होगी।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -7)
6	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आईआरसी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी सैन्ट्रल जोन, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -8)
7	वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -9)
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -10)
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -11)
10	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -12)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर - 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर - 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur - 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur - 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



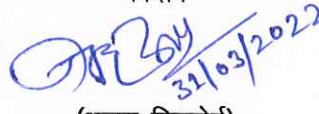
11	कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-306/2014 एफसी पार्ट दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालना के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -13)
----	---	--

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 31.12.2018 के निर्देशों की अनुपालना में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012 एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को दो दैनिक अंग्रेजी एवं हिन्दी समाचार पत्रों में क्रमशः राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15.01.2019 एवं हिन्दुस्थान टाइम्स में दिनांक 16.01.2019 को प्रकाशित करवा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। (Annexure -14)

जिला कलक्टर द्वारा FRA certificate दिनांक 30.11.2018 को जारी किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। (Annexure - 15)

अतः इस कार्यालय द्वारा सभी शर्तों की अनुपालना की जा चुकी है इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंतिम अनुमोदन (Final Approval) देने हेतु आगे की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-02-2022

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU JODHPUR
Application No.	6132975958
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/30/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	NHAI, PIU 188 Umaid Heritage, Ratnada, Jodhpur (Rajasthan)Jodhpur
Amount(in Rs)	355152/-

Amount in Words :Three Lakh Fifty-Five Thousand One
Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856132975958 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-02-2022

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU JODHPUR
Application No.	6132975958
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/30/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	NHAI, PIU 188 Umaid Heritage, Ratnada, Jodhpur (Rajasthan) Jodhpur
Amount(in Rs)	355152/-

Amount in Words :Three Lakh Fifty-Five Thousand One
Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856132975958 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

13.05.21		KIRANA AND GENERAL STORE CBIN0283332 2988884571 PIU BARMER			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157313735 BAJRANGI PROVISION STORE RSCB0014021	2793	2,328.00	-87.51
13.30.20		14021401110000954 PIU BARMER			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB IFG 82553200 3382101003620 IB, Funds Transfer Debit	2793	9,174.00	-87.51
13.30.19		IB NEFT Dr P067220157312204 MSV INTERNATIONAL INC PUNB0386200	2793	10,91,561.00	-87.51
08-Mar-2022	08-Mar-2022	3862002101008043 PIU AJMER			
13.22.22		IB NEFT Dr P067220157312200 MSV INTERNATIONAL INC PUNB0386200	2793	7,24,523.00	-87.40
08-Mar-2022	08-Mar-2022	3862002101008043 PIU AJMER			
13.22.21		IB NEFT Dr P067220157308650 THEME ENGINEERING SPL PUNB0226300	2793	5,34,037.00	-87.32
08-Mar-2022	08-Mar-2022	4434002100000305 PIU AJMER			
13.22.19		IB NEFT Dr P067220157308654 THEME ENGINEERING SPL PUNB0226300	2793	4,66,090.00	-87.27
08-Mar-2022	08-Mar-2022	4434002100000305 PIU AJMER			
13.14.22		IB NEFT Dr P067220157308438 Virod Jain ICIC0000873 687301700374 PIU JODHPUR	2793	5,872.00	-87.22
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157308435 HPG Law Chambers HDFC0000032 50200011174670	2793	31,560.00	-87.22
13.14.20		PIU JAIPUR			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157310659 SATYA NAHAYAN BAGWAL SBIN0011311	2793	27,000.00	-87.22
13.14.19		51088093631 PIU KOTA			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157304276 RSCPL RCC JV HDFC0000153	2793	5,96,00,465.00	-87.22
13.07.19		50200048569791 PIU HANUMANGARH			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157289314 UCHIT EXPRESSWAYS PVT LTD UBIN0549584	2793	71,00,010.00	-81.26
13.04.18		405601010040874 PIU UDAIPUR			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157302850 ADVENT CONSULTING E IDFB0021001	2793	5,81,000.00	-80.53
13.01.19		10023197133 PIU UDAIPUR			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157297761 N G PROJECTS LTD HDFC0000405	2793	1,52,89,454.00	-80.49
12.58.21		04052320000126 PIU JODHPUR			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157297236 RAJASTHAN CAMPA UBIN0003710	2793	3,55,152.00	-78.06
12.55.38		150856132975958 PIU JODHPUR			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157296929 MSV INTERNATIONAL INC PUNB0386200	2793	10,34,314.00	-78.92
12.54.23		3862002101008043 PIU AJMER			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157301268 JDEVNL SBIN0031026 00000061128724287 PIU	2793	9,165.00	-78.82
12.54.21		JODHPUR			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157299743 MANISH VERMA SBIN0031728 01242263529 PIU	2793	40,500.00	-78.82
12.46.19		SAWAIMADHOPUR			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157292337 VHC VCL S AND P JV BARBODINDJOD	2793	10,12,55,976.00	-78.82
12.35.43		18720400000454 PIU JODHPUR		0	
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157291758 G R INFRAPROJECTS LTD HDFC0001202	2793	58,13,967.00	-68.69
12.33.25		01198470000014 PIU JODHPUR			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157290784 VRC CONSTRUCTION IPL SP IDPL JV	2793	2,24,08,835.00	-68.11
12.31.18		PUNB0769200 1501002100165224 PIU HANUMANGARH			
08-Mar-2022	08-Mar-2022	IB NEFT Dr P067220157233816 NKC PROJECTS PVT LTD UBIN0918199	2793	20,39,70,493.00	-58.82
09.51.19		510101007284311 PIU JODHPUR		0	
07-Mar-2022	07-Mar-2022	IB NEFT Dr P066220157223818 INCKAH INFRASTRUCTURE TRP HDFC0000002	2793	0,12,526.00	-38.47
23.01.19					



CHAI

Customer Payment Details

Customer Payment - 1	
UTR Number	CNRDR52019010500584426
Transaction Reference No	2140H05011978087
Receiver Participant	CORP0000920
Bank Name	CORPORATION BANK
Status	RTGS Credit Confirmed
Reject Reason	Credit Confirmation Received
Transaction Details	
Account Type	Customer
Branch	2140 - JODHPUR CHOPASNI ROAD
Account Number	3382206000001
Purpose Code	CashManagementTransfer
Name	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
Cheque Number	465409
Transaction Amount	53,61,647.00 INR
Amount In Words	FIFTY THREE LAKH SIXTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY SEVEN ONLY
Value Date (dd/mm/yyyy)	05/01/2019
Ordering Customer Details	
Ordering Customer Details 1	3382206000001
Ordering Customer Details 2	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
Ordering Customer Details 3	PLOT NO 1 AISHWARYAM HEIGHTS
Ordering Customer Details 4	INDIRA NAGAR SENAMANAICKENPATTI
Beneficiary Customer Account 5561	037100101026225
Beneficiary Customer 5561 Details 1	COMPENSATORY AFFORESTATION FUND MAN
Payment 7023 Details 1	NHAI
Account With Institution	
Receiver Participant	CORP0000371

User Id	Date	Version	Auth Number	Reason	Status
76858	2019-01-05 10:39:18.0	0	1		Semi Authorised
41554	2019-01-05 10:50:55.0	0	2		Authorized
41554	2019-01-05 10:50:56.0	0	2		Released
41554	2019-01-05 10:51:08.0	0	2		Sent to PI
41554	2019-01-05 10:51:10.0	0	2		RTGS Credit Confirmed



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
 (Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
 परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
 जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
 Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
 Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
 ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiawas(0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 2

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक

आदेश

तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्रांक भूअ/2018/4751 दिनांक 15.10.2018 द्वारा निवेदन किया कि उनके प्रस्ताव पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व/जेडीए/2018/1589-94 दिनांक 03.05.2018 द्वारा ग्राम बडली तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 534 में से 15.01 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तांतरित की गयी थी। ग्राम बडली के खसरा नम्बर 534 में सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के द्वारा बाईपास कि.मी. 36 से 44 तक सड़क निर्माण के लिये खसरा नम्बर 534 की भूमि प्रभावित होने से भूमि अनापत्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 25.08.1999 को अवार्ड पारित कर सड़क निर्माण हेतु खसरा नम्बर 534 में से 7.10 बीघा भूमि अवाप्त की गयी। अवार्ड किये जाने के उपरान्त सूचना के अभाव में खसरा नम्बर 534 में से अवाप्तसुदा 7.10 बीघा का नामान्तरण तहसील कार्यालय द्वारा स्वीकृत कर सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के स्वामित्व में इन्द्राज नहीं किया जा सका। इस प्रकार खसरा नम्बर 534 में से अवाप्तसुदा 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के स्वामित्व में अंकन नहीं होने से इस खसरे में से शेष बची 15.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तांतरित हो गयी जिसका नाक संख्या 1219 दिनांक 27.07.2018 को निर्णित किया गया, जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर द्वारा अवाप्त 7.10 बीघा भूमि कम की जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को 7.11 बीघा भूमि ही हस्तांतरण करने योग्य थी। अतः आदेश दिनांक 03.05.2018 में संशोधन कर संशोधित आदेश प्रदान करावें। इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की अनापत्ति चाही गयी।

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ 46/आवंटन(पश्चिम)/2018/2538 दिनांक 31.10.2018 द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1589 दिनांक 03.05.2018 द्वारा ग्राम बडली के खसरा नम्बर 534 रकबा 15.01 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि में से 7.10 बीघा अवाप्तसुदा भूमि का सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने एवं आदेश में संशोधन किया जाता है तां उनके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है अनापत्ति प्रदान की गयी।

अतः तहसीलदार जोधपुर के निवेदन एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की अनापत्ति के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व/जेडीए/2018/1589 दिनांक 03.05.2018 पृष्ठानक क्रमांक 1590-94 दिनांक 03.05.2018 द्वारा ग्राम बडली तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 534 रकबा 15.01 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तांतरित भूमि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा अवाप्त सुदा भूमि 7.10 बीघा कम की जाकर खसरा नम्बर 534 में से रकबा 7.11 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तांतरित की जाती है का संशोधन किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार जोधपुर राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 534 में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा अवाप्तसुदा भूमि रकबा 7.10 बीघा का इन्द्राज सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर के नाम एवं शेष रकबा 7.11 बीघा का इन्द्राज जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम इन्द्राज कर अमलदराज कर इस कार्यालय को अवगत करावे एवं तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में हस्तांतरण प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण कर ही इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)

जिला कलक्टर,

जोधपुर

दिनांक 30/11/2018

क्रमांक प 12(3-)राज/हरता/जेडीए/2018/4121-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

2. उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

3. तहसीलदार, जोधपुर।

4. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कार्यालय हाजा।

5. रक्षित पत्रावली

(महिपाल कुमार)

अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

(दस्तावेज)

金 子 一 斤

शठं मल मलानदी (खलीनो) म श्रुति किने ज्ञानो के निव
प्रख्यापित श्रुति

ब्रह्मावर्दी के प्रतिस्थापित किए जाने के बिना प्रतिस्थापित नहीं प्रतिष्ठित

प्रविष्टि की क्रम संख्या	
जमान्दगी में कर्तों की संख्या	
खसरा संख्या	
क्षेत्रफल	
मूदा (भूमि) वर्गीकरण	
राजस्व या जमान	
	राजस्व या जमान
	विशेषों सहित कारखानों का नाम
नयी जोत की संख्या	
	विशेषों सहित कारखानों का नाम
खसरा संख्या	
क्षेत्रफल	
मूदा (भूमि) वर्गीकरण	
राजस्व या जमान	
बिक्रम की दशा में कीमत सहित राजस्वीकरण का स्वरूप तथा जारी तथा संघक की दशा में बन्धक ऋण की रकम अथ राजस्वीकरण की जारी तथा संघक की जारी करतहीत वास्तविककरण की	
सम्पत् तथा काल-बाध की कत संख्या जिस पर भाग नियत की गई है	
टिप्पणियां कच्चे आदि के बारे में हथक लाय से सम्बन्धित पदधारियों की रिपोर्ट और प्रविष्टियों में अमिल तथा मस्तुत वस्तुओं के अनुसार धुटियों के सम्बन्धित सम्बन्धित निरीक्षण की रिपोर्ट	

1226 1 53 790 7.2.211

२१४-२२१३

10/11/1921

710 21.8.1911

16

61219
M.N.
12-12-19

22.05.2021

५१
२०१०

10

24/10/2020

[illegible][illegible]

57

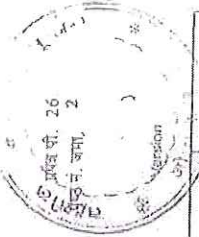
$$\begin{array}{r} 4.0119 \\ \hline 4.9119 \end{array}$$
[illegible]

प्रमाणपत्र

आवकरी गांव : बड़ली
 तहसील : नौधपुर
 तालुका : 2059-2062
 जिला : बाराबंकी
 राज्य : उत्तर प्रदेश

पटवार क्षेत्र : बाराबंकी
 जिला : नौधपुर
 वार्षिक संवत् : 2059

मू-ओपरेटिव सिरीसक क्षेत्र : नौधपुर
 दिनांक : 24/2005



खेवट (खेतों)	भूमि धारकों का नाम	काशकाम का नाम, दिनां काति तथा निवास स्थान के पत्ता सहित तथा कृषि काल	उमरा नं.	वेमरल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	देय लगान		नामानाकरण अथवा नं. तथा वार्षिक	भूमि वर्गीकरण विवरण विलेय भूमि अन्तर्गत हो	दिनांक	
							रा.	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

M.N.O-1218 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 412-16 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

M.N.O-1219 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 15-1/2 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

M.N.O-1220 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 15-1/2 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

M.N.O-1221 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 15-1/2 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

M.N.O-1222 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 15-1/2 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

M.N.O-1223 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 15-1/2 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

M.N.O-1224 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 15-1/2 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

M.N.O-1225 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 15-1/2 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

M.N.O-1226 ड्राइंग :- रकम 534 रकम 15-1/2 बीघा जिला 73

27-7-18 के.डू.वीर- वर विभाग नौधपुर के नाम 4-1/2 मोल वरकूर

खनिज विभाग के नाम दर्ज।

नामा सं-637-अन्य-20/09/2003

ख. नं. 73 से 24.12 बीघा नूनि

खनिज विभाग के नाम दर्ज।

नामा सं-633-अन्य-14/07/2003

ख. नं. 88 से 9.05 बीघा नूनि

खनिज विभाग के नाम दर्ज।

नामा सं-637-अन्य-20/09/2003

ख. नं. 88 से 9.05 बीघा नूनि

खनिज विभाग के नाम दर्ज।

नामा सं-616-अन्य-11/07/2002

ख. नं. 88 से 9.05 बीघा नूनि

खनिज विभाग के नाम दर्ज।

नामा सं-637-अन्य-20/09/2003

ख. नं. 526 से 45.12 बीघा नूनि

खनिज विभाग के नाम दर्ज।

नामा सं-637-अन्य-20/09/2003

ख. नं. 534 से 32.10 बीघा

संयोजित
 राजकीय
 4.01.2015
 नौधपुर
 प्रतीक (साम)

प्रतीक (साम)
 7-18 प्रतीक (साम) 7-18 प्रतीक (साम) 7-18 प्रतीक (साम)

प्रतीक (साम)
 7-18 प्रतीक (साम) 7-18 प्रतीक (साम) 7-18 प्रतीक (साम)

प्रतीक (साम)
 7-18 प्रतीक (साम) 7-18 प्रतीक (साम) 7-18 प्रतीक (साम)

प्रतीक (साम)
 7-18 प्रतीक (साम) 7-18 प्रतीक (साम) 7-18 प्रतीक (साम)

672-17

672-17

672-17

672-17

672-17

672-17

672-17

672-17

672-17

672-17

672-17

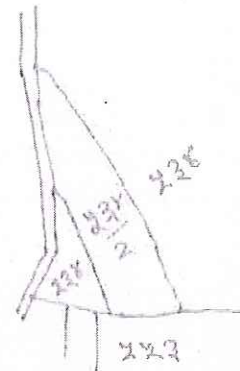
672-17

672-17

N
S

नरेश्वर किशतदार
ग्राम बडली
तहसील - मौछपुर
पंचायत - पी/ई-२०७१२।

88



सत्यप्रगति (पि)
राजकीय प्रयोजनार्थ
कि.मुल्क

७/६
१/०१/२०१७
सत्यप्रगति (पि) का
सचिव



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiawas(0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 3

इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लॉट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नहीं है। अतः इस क्रम में भारत सरकार के पत्र सं. 506 दिनांक 19.11.2018 के बिन्दु सं. 5 में वर्णित अनुसार सक्षम राजस्व अथारिटी से जारी किया गया उक्त आशय का अप्टर टैकिंग प्रस्तुत किया जावे कि ग्राम बडली के खसरा नं. 534 में उक्त परियोजना हेतु वांछित भूमि वनभूमि नहीं है।

ग्राम बडली के खसरा नं. 534 में उक्त परियोजना हेतु वांछित भूमि वनभूमि नहीं है, इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 4

इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संघ में वन रक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक Self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें। इस क्रम में अपने स्तर से वांछित कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे तथा इस कार्यालय में वांछित कार्यवाही हेतु अवगत कराया जावे ताकि तदनुसार तत्काल पालना की कार्यवाही की जाके।

उक्त परियोजना हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 7.534 हैक्टर में किया गया था जिसमें मात्र एक अतिक्रमण को छोड़कर सभी अतिक्रमणों को मौके से हटा दिया गया है। उक्त भूमि में खसरा सं. 867 में परियोजना चैनेज सं. 39.375 से 39.520 तक सड़क के राईट साइड में स्थित एक अतिक्रमण हटाया जाना शेष है। उक्त अतिक्रमण से सम्बंधित विवाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसके लिए न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। (प्रति संलग्न है) न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है। इस हेतु वचनबद्ध रहेगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 3995/2020

Jal Ram @ Jaya Ram S/o Kripa Ram, Aged About 76 Years, R/o
Village Genva (Chokha), Harala Bhakhari, Bypass Road, Jodhpur.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through District Collector, Jodhpur.
National Highway Authority Of India Through Project
Director, Project Implementation Unit, Rajeevayan, 188,
Umaid Haritage Ratanada, Jodhpur.
Authorized Officer, Land Acquisition And Sub Divisional
Officer, Jodhpur.

----Respondents



JUSTICE DINESH MEHTA

Order

20/03/2020

1. In wake of onslaught of COVID-19, lawyers have been advised to refrain from coming to the Courts.
2. Learned counsel for the petitioner was, however, contacted on his mobile to respond to the queries of the Court.
3. With reference to averments made in para No.15 of the writ petition, Mr. Kotwani, learned counsel for the petitioner, asserts that no notice under Section 3A/3C of the National Highways Act, 1956 was issued to the petitioner before acquiring his land.
4. Inviting Court's attention towards the award dated 30.12.2019, it is submitted that the award has been passed and name of the petitioner has been reflected as an interested person, only in view of a meeting held in Collector's Office
5. Upon perusal of the record and in view of what has been informed by Mr. Kotwani, this Court is of the prima facie view that



acquisition proceedings of the disputed land had been initiated treating the land to be owned/possessed by the Forest Department, whereafter the amount of award has been ordered to be paid to the petitioner.

6. Petitioner appears to have remained unheard though the contentious land belongs to him.

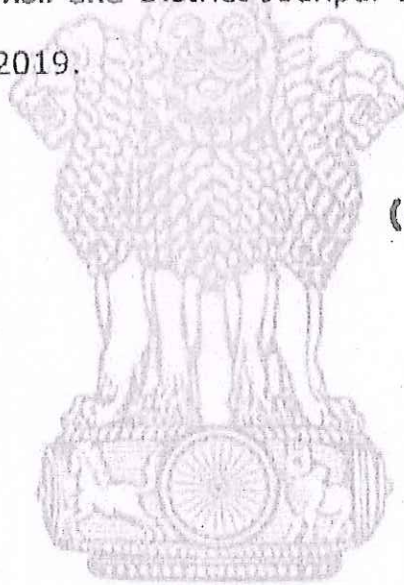
Matter requires consideration.

Issue notice. Issue notice of the stay application also, returnable on 24.04.2020.

Till then, the respondents shall not dispossess the petitioner from his land situated in Khasra No.867/3 and 867/4 of village Genva (Chokha), Tehsil and District Jodhpur in furtherance of the award dated 30.12.2019.

(DINESH MEHTA),J

15-A.Arora/-



सत्यमेव जयते



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 5

विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तंभ के आगे Forward एवं पीछे backward उनकी दिशा bearing भी लिखनी होगी।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 6

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आईआरसी के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी सैन्ट्रल जोन, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) **National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर - 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर - 342011 (राजस्थान)

Project Implementation Unit- Jodhpur - 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur - 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165

ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section - I, Dangiyawas(0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या - 7

वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर - 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर - 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur - 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur - 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section - I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या - 8

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। अतः इस क्रम में वांछित मक डिस्पोजल योजना बनाकर प्रस्तुत की जावे ताकि अग्रिम वांछित कार्यवाही की जा सके।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नवीनतम तकनीकी से परियोजना निर्माण कार्य किया जायेगा अतः मक सृजित नहीं होगा परन्तु अपरिहार्य स्थिति में यदि मक सृजित होगा तो ग्राम चौपासनी के पीडब्लुडी के खसरा सं 7 में सुरक्षित डिस्पोजल किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
 (Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
 परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
 जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
 Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
 Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
 ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000 to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 9

प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशों का पालना करेगी।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)

Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165

ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000 to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 10

सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के उपरान्त भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति एवं कार्यनुमति आदेश जारी होने से पहले मौके पर किसी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न की जावें। तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाना सुनिश्चित करें।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
 (Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
 परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर - 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
 जोधपुर - 342011 (राजस्थान)
 Project Implementation Unit- Jodhpur - 188, Umaid Heritage, Ratanada
 Jodhpur - 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
 ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section - I, Dangiawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या - 11

कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-306/2014 एफसी पार्ट दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालना के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी। अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से कार्य अनुमति जारी न होने तक मौके पर किसी भी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केंद्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-11, अलीगढ़, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-11, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326896, 2324340, 2324047, 2324025
Email: hmv.m_env@rediffmail.com, (forest) goimbof@rediffmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/30/2018/एफसी/560

दिनांक: 31.12.2018

सेवा में,

शासन सचिव (वन),
राजस्थान सरकार, सिविल सचिवालय,
जयपुर।

Online Proposal No. FPRAJ/ROAD/32975/2018

विषय : Diversion of 7.534 ha forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section-4, Dangiyawas (0+000) to Nagaur Road (7+619) of Jodhpur district of Rajasthan

दर्जा : शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार को पत्रांक-प. 1(67)वन/2018, दिनांक-28.12.2018

विषय,

उपरोक्त विषय पर प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक-1(67)वन/2018, दिनांक-29.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कट कर, निराकरण द्वारा विवरणित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्तावित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 18.11.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या विशेष सचिव, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना आख्या पर विचारोपान्त मुद्दे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार 7.534 हे. वनभूमि के प्रस्तावित 63 क्लॉ के पातन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (7.537 x 2 = 15.068 ha.) अर्थात् 15.068 हे. पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत नैदिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। (ख) इसके उपरान्त जमा की राशि धनराशि की ऑनलाईन ई-एसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् अतिरिक्त वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तबोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगा कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लॉट सं. 534 की वन भूमि सम्मिलित नहीं है।
4. इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।
5. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगा कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैटल जोन बेंच, नोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2016 बाबुलाल जाजू ज्वाला राजस्थान सरकार में दिनांक 18.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग को देख रेख में किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत करके इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
11. कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 11-306/2014-एफ.सी. (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जाएगी।

भवदीय,
(वृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केंद्रीय)

Hindustan times 16.01.2019



The West Bengal Power Development Corporation
(A Government of West Bengal Enterprise)

Subject: P
Non-Bag
five years.
Estimated
Date of res
Date of Pro

Date of upl
pre-bid tin
Last date
Date of op
Date of

Note: To
Governor

HOO

NIEB
Hooghli
Govt. of
online e
https://
Compa
Name of
including
upgrad
per req
Period
Revise
1st year
Rs.91.0
Major
at least
day in
Minim
3 years
respect
Closing
The de
terms
https://
The
https://
which



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संघीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम ब्लॉक, सेक्टर-एच, अलिगढ़, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aligarh, Lucknow-226024, Tel: 23266056,
2324340, 2324047, 2324025

E-mail: (Env.) m-env@rediffmail.com, (Forest) goimactroll@rediffmail.com

फ़ोन सं. 0512/राज/06/30/2018/254.सं./350

दिनांक: 21.12.2018

सेवा में,

शासन सचिव (वन)
राजस्थान सरकार
सिविल सचिवालय, जयपुर ।

Online Proposal No. EP/RAJ/ROAD/32975/2018

विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NEIAI PTU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section-I, Dangiawas (0+000) to Nagour Road (74+619) of Jodhpur district of Rajasthan.

सन्दर्भ:- शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक-प.1 (67)वन/2018, दिनांक-28.12.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार पत्रांक-प.1 (67)वन/2018, दिनांक-29.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कट करे, जिसके द्वारा विधिवत प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्तावित प्रकरण में इस कार्यालय के समर्थक पत्र दिनांक- 19.11.2018 द्वारा आवश्यक सूचनाएं जारी की गई थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, जयपुर राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त पुष्टि आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 7.534 हे. वनभूमि के प्रत्यवर्तन 63 वृक्षों के पालन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के वन में प्रभावित वन भूमि के दुबुने अवगत वनभूमि (7.534 x 2=15.068 ha.) अर्थात् 15.068 हे. पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों की समीक्षा करते हुए यथासंभवित) केम्पा. नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटोशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के कट में दिष्ट गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निश्चित राशि केम्पा. नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छाकप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का पदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आख्य का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लॉट सं. 534 की वन भूमि सम्मिलित नहीं है।
4. इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक (self contained note) इसकी अनुपालन के साथ प्रेषित करें।
5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यव पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NCT) सेंट्रल जोन बैंक, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 कोबुलाल जाजू नेशनल राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन के व्यव पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
7. वृक्षों का पालन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख-रेख में किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूक डिस्पोजल योजना प्रणालीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।
10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रणालीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
11. कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र- 11-306/2014-एफ.सी.(P.L.), दिनांक- 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुसूचित अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय

(बृजेन्द्र स्वयं)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

वर्ल्ड ब्रांड्स समिट में
तेल एवं कैस्पूल को 'मोस्ट
एनिका 2016' अवार्ड से

प्राइवेट लिमिटेड ने भारत
सर्वश्रेष्ठ के आधार पर 'डा.
को "न. 1 ब्रांड" अवार्ड
प्राप्त किया।

देव नारायण
बावस्कर उम्र 65 वर्ष,
पावर हाऊस में काम
करता हूँ। वॉलीबॉल
के दौरान मेरे बाएं कंधे में गहरी
गर्भ थी। मित्र की सलाह पर
शाम दो-दो आयुर्वेदिक डा.
कैप्सूल लिए। मुझे बहुत खुशी
मेरे 10 वर्ष पुराना कंधे का दर्द
न ठीक हो गया है।

अनिता विकटर उम्र
45 वर्ष, हाउसवाइफ
हूँ। कुछ सालों से मेरे
कंधे एवं गर्दन में
दर्द रहने लगा था। परेशानी
बढ़ती जा रही थी। सहेली
ने पर योजना बिना भूले
एक डा. ऑर्थो कैप्सूल लेने
ए। आज मुझे बिल्कुल भी
दर्द नहीं होता।

cal & general stores

21-12-2018
पिन
5
15.01.2019

32 Ann-15

FORM-I
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Jodhpur

No. 412-6

Dated: 30/11/18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF&CC), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF&CC issued guidelines on submission of evidences of having initiated and completed the process of settlement of Rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF&CC letter dated 5th February 2013 wherein MOEF&CC issued certain relaxation in respect of linear projects, its certified that 7.534 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI for Up gradation & Widening of Jodhpur Ring Road Section-I Dangiyawas (0+000) to Nagaur Road (74+619) in Jodhpur District falls within jurisdiction of villages Gewa, Tehsil Jodhpur as given in Annexure-A.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried for the entire 7.534 hectares of forest area proposed for diversion. The Chainage wise details of the Forest area being diverted area enclosed as to Annexure-B. A Copy of record all consultation and meetings of the FRA committees i.e. Ward Level Committees, Sub Divisional Level Committees and District Level committees are enclosed as Annexure -C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA will be completed by NHAI and FRA committees have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Collector & District Magistrate
JODHPUR.

Full Name of the official seat of the District Collector



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर - 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर - 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur - 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur - 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई-मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com



No. 17006/1/2022/JRR-I/Forest Clearance/ 362

Date: - 07.02.2022

To,

APCCF (FP) and Nodal officer (FCA)
O/O PCCF (HoFF),
Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area
Jaipur -302004

Sub : Diversion of 7.534 ha. forest land for the upgradation of Jodhpur Ring Road Section-I (Dangiyawas km 0+000 to Nagaur road Km 74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP /RJ/Road/32975/2018)-reg.

Ref: (1) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11279 dated 07.02.2022
(2) Assistant Inspector General of Forest, MOEF&CC office letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 19.01.2022
(3) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11748 dated 02.01.2019
(4) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11707 dated 01.01.2019
(5) MOEF&CC, Lucknow office letter No. 8B/Raj/06/30/2018/FC/560 dated 31.12.2018.

Sir,

Please see letter under ref. (5) vide which In-Principal approval for above proposal was given by Forest Department along with some conditions mentioned in the letter. Subsequently DFO Jodhpur raised demand for compensatory afforestation (CA) and Net Present Value (NPV) vide letter under ref. (3) & (4) which was Rs. 20,61,755/- and Rs. 32,99,892/- respectively. Accordingly an amount of Rs. 5361647/- was deposited by NHA in compliance. The other conditions were also complied and intimated to Forest Department vide letter dated 11.01.2019 and 16.01.2019.

Now vide letter under ref. (1) DFO Jodhpur has raised revised demand for CA and NPV which is Rs. 24,16,907/- and Rs. 50,48,835/- respectively. In this regard it is submitted that as per letter under ref. (2) revised rates of NPV is not applicable in our case. The difference of amount in CA is Rs. 3,55,152/- (2416907- 2061755) which would be paid by NHA after your approval.

In view of above, it is submitted for your approval to deposit the amount of Rs. 3,55,152/- as the difference in CA.

Thanking you

Encl:- As above

Yours faithfully,

(Ajay Bishnoi)
Project Director

Copy to:-

1. CGM (Tech), NHA RO Jaipur
2. CCF, Forest Department, Jodhpur
3. DFO, Jodhpur
4. M/s Sadbhav Jodhpur Ring Road Section-I
5. IE M/s CEG Ltd.

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira
Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 19th January, 2022

To

The Additional Chief Secretary (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All State Governments and Union Territory Administrations

Sub: ~~Date~~ and stage of application of the revised rates of Net Present
Value (NPV)- reg

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 6.01.2022
wherein revised rates of NPV were conveyed to all State Govts/UTs and to inform
that the revised rates of NPV are applicable for all proposals, where:

- i. In-principle approval under Section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 has been obtained after 06.01.2022, or
- ii. In-principle approval under Section 2 (ii) of the FC Act was obtained more than five years ago, i.e. on or before 06.01.2017, but Stage-II approval has not been obtained as on 06.01.2022.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments and Union Territory Administrations
2. The Regional Officer, All integrated Regional Offices of the MoEF&CC
3. The Nodal Officer (FCA), All State Governments and Union Territory Administrations
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi
5. Guard File

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिशनर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसावेल फोन न.0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ(104)एफ.सी.ए/उवसं/2019-20/11279

दिनांक: 07/02/2022

निमित्त,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
जोधपुर 188, उममेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर-342011।



07/02/22
जवा: (तक) 1

विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र क्रमांक 8बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 16 (परिपत्र)2005/संयुक्त रोड/एफ.सी.ए./पार्ट-8/15-27 दिनांक 07.01.2022 एवं Government of India, Ministry of environment, Forest and Climate Change (Forest Covervation Division) Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi circular dated 06-01-2022 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018) में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की बड़ी हुई राशि जमा करवाकर पालना (वचन बद्धता) रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 X 2 = 15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, न्यू दिल्ली में जमा की जायेगी।
अतः इस हेतु 1,60,400/- प्रति हैक्टर की दर से 15.068 हैक्टर हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रुपये 24,16,907/- ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.20009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 6,70140 = 7.534X670140 रुपये = 50,48,835/- (अक्षरे पचास लाख अड़तालिस हजार आठ सौ पैतीस रुपये मात्र) ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त बिंदु की दर में बढ़ोतरी होने पर राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

कृ०पृ०उ०

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रुपये 53,61,647/- यू.टी.आर. संख्या CNRBR52019010500584425 दिनांक 05.10.2019 जमा करा दी गई। अतः बिन्दु संख्या 1 और 2 के बढी हुई राशि रुपये 7465742/- के अनुसार रुपये 21,04,095/- /-(अक्षरे इक्कीस लाख चार हजार पचानवे रुपये मात्र) को बढी हुई दर के अनुसार जमा कर ऑनलाइन ई-रशीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु बढी हुई दर के अनुसार जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार राशि कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली बढी हुई राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाईन जमा करवाकर चालान की प्रति पर यू.टी.आर. संख्या अंकित कर उपलब्ध करावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर


उप वन संरक्षक
जोधपुर



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर
Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office
"Rajeevayan"
188, UMAID HERITAGE
Ratanada,
Jodhpur- 342011 (Rajasthan)
Tel:- 0291-2510065
FAX No.:- 0291-2511165
E-Mail:- jodhpur@nhai.org

क्र. 17006/1/2018/जेआरआर/वन/124

दिनांक: 16.01.2019

प्रेषित

उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषय : Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for upgradation of Jodhpur – Ring Road Section-I, Dangiawas (0+000) to Nagaour Road (74+619) of Jodhpur District of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018-reg.

संदर्भ : (1) इस कार्यालय के पत्रांक 116 दिनांक 16.01.2019
(2) इस कार्यालय के पत्रांक 078 दिनांक 11.01.2019।
(3) आपको कार्यालय पत्रांक एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2018/11707 दिनांक 01.01.2019।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से कुछ शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सन्दर्भित पत्र (2) द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना किए जाने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया जिसमें से बिन्दु संख्या 1 से 7 एवं 9 से 12 तक की पालना सन्दर्भित पत्र (1) एवं (2) द्वारा की जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 08 के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग संलग्न है।

अतः निवेदन है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ से उक्त प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा की जाए। यह भी अनुरोध है कि कार्यहित में शीघ्रताशीघ्र विधिवत स्वीकृति की प्रत्याक्षा में कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति (Working Permission) निर्गत करने की कृपा प्रदान की जाए।

धन्यवाद।

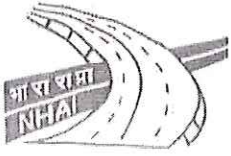
संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस.के. मिश्रा)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ-226024।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (तक), क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा, जयपुर।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office

188, UMAID HERITAGE

Ratanada, Jodhpur- 342011

(Rajasthan)

Tel:- 0291-2510065

FAX No.: 0291-2511165

E-Mail: jodhpur@nhai.org

क्र. 17006 / 1 / 2019 / जेआरआर / वन / 116

दिनांक 16.01.2019

प्रेषित

उप वन संरक्षक

वन विभाग, जोधपुर

विषय : Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for upgradation of Jodhpur – Ring Road Section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagaour Road (74+619) of Jodhpur District of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)-reg.

संदर्भ : (1) इस कार्यालय का पत्रांक 17006 / 1 / 2019 / जेआरआर / वन / 078 दिनांक 11.01.2019।
(2) आपका पत्रांक एफ()एफ.सी.ए. / उवसं / 2018 / 11707 दिनांक 01.01.2019।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज. / 06 / 30 / 2018 / एफ.सी. / 560 दिनांक 31.12.2018 से कुछ शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सन्दर्भित पत्र (2) द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना किए जाने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया जिसमें से बिन्दु संख्या 1 से 7 एवं 9 से 11 तक की पालना सन्दर्भित पत्र (1) की जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 12 के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ भिजवाना हेतु लिखा गया। उक्त की पालना में दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) क्रमशः राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15.01.2019 एवं हिन्दुस्थान टाइम्स में दिनांक 16.01.2019 (प्रति संलग्न) प्रकाशित करवा दिया गया।

सूचनार्थ प्रेषित हैं।

धन्यवाद।

भवदीय,

(Signature)

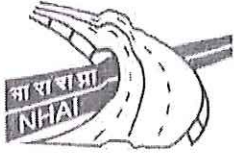
(विदित जैन)

प्रबन्धक (तकनीकी)

संलग्न- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ-226024।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (तक.), क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा, जयपुर।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office
188, UMAID HERITAGE
Ratanada, Jodhpur- 342011
(Rajasthan)
Tel:- 0291-2510065
FAX No.:- 0291-2511165
E-Mail:-jodhpur@nhai.org

क्र. 17006/1/2019/जेआरआर/वन/078

दिनांक 11.01.2019

प्रेषित

उप वन संरक्षक
वन विभाग, जोधपुर

विषय : Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for upgradation of Jodhpur – Ring Road Section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagaour Road (74+619) of Jodhpur District of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)-reg.

संदर्भ : (1) आपका पत्रांक एफ()एफ.सी.ए./उवसं/2018/11748 दिनांक 02.01.2019।
(2) आपका पत्रांक एफ()एफ.सी.ए./उवसं/2018/11707 दिनांक 01.01.2019।
(3) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र स. पत्रांक 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 एवं अति. प्रमुवसं एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्र स. 4279-80 दिनांक 01.01.2019, मुवसं जोधपुर का पत्र संख्या 30 दिनांक 01.01.2019।

महोदय

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों द्वारा निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से कुछ शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। उक्त हेतु निम्नानुसार राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था:-

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 गुणा 2 = 15.068 हैक्ट.) अर्थात् 15.068 हैक्ट. पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, न्यू दिल्ली में जमा की जायेगी।

अतः इस हेतु 1,36,830/- प्रति हैक्ट. की दर से 15.068 हैक्ट. हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रु. 20,61,755/- ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007/एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी है।

अतः प्रस्तावित 7.534 हैक्ट. वनभूमि के लिए 4,38,000/- प्रति हैक्ट. की दर से कुल राशि रु. 32,99,892/- ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

वन विभाग के उक्त आदेशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु कुल रु. 53,61,647.00 (20,61,755.00 + 32,99,892) कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जरिये आरटीजीएस UTR No. CNRBR52019010500584426 (प्रति संलग्न) से जमा करवा दिये हैं। अतः वन विभाग के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की जाती है।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office
188, UMAID HERITAGE
Ratanada, Jodhpur- 342011
(Rajasthan)
Tel:- 0291-2510065
FAX No.:- 0291-2511165
E-Mail:-jodhpur@nhai.org

2. उप वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक एफ(0)/2018/विकास/10665 दिनांक 22.11.2018 एवं MoEF के सन्दर्भित पत्र (3) की अनुपालना के क्रम में निवेदन है कि ग्राम बड़ली के खसरा नम्बर 534 में से 7.10 बीघा भूमि का नामान्तरण एवं तरमीम सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा कर दिया गया है (प्रति संलग्न)।
3. सन्दर्भित पत्र (2) के माध्यम से आप द्वारा प्रस्तुत शर्तों से सम्बन्धित अण्डरटैकिंग अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है तथा बिन्दु संख्या 8 की पालना के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र ही प्रेषित कर दी जायेगी। बिन्दु संख्या 12 की पालना किए जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है, शीघ्र ही पालना से अवगत करा दिया जायेगा।

धन्यवाद।

भवदीय,

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(एस. के. मिश्र)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ-226024।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (तक.), क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा, जयपुर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोवरावेल फोन नं. 0295-2636733 ई.मेल. dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ()एफ सी.ए./उवसं/2018/

11748

दिनांक 2/1/19

निमित्त

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

188, उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा

जोधपुर-342011



विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUJ jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I. Dangiawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan.

प्रसंग: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्र सं. 8वी/राज./06/30/2018/एफसी/560 दिनांक 31.12.2018 एवं अति. प्रमुख एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्र सं. 4279-80 दिनांक 01.01.2019, मुखसं जोधपुर का पत्र सं. 30 दिनांक 01.01.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 11707 दिनांक 01.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018) के लिए जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 के क्रम में, इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना हेतु आपको अवगत कराया गया है। उक्त शर्तों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

उक्त पत्र की शर्त के बिन्दु संख्या 1 में 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए 1,64,100/-रुपये प्रति हैक्टर की दर के स्थान पर 1,36,830/-रुपये प्रति हैक्टर से राशि 20,61,755/-रुपये कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन जमा कराये।

शेष सभी शर्तें एवं तथ्य यथावत रहेंगे।

भवदीय
(हनुमानराम)
उप वन संरक्षक
जोधपुर
दिनांक

क्रमांक:सम/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए राज.जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में

उप वन संरक्षक
जोधपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

युजिलि कनिष्ठ-र ऑफिस के समाने, नर्सरी जंगल के न. न. 0291 2630753 ई मेल dfojodhpur@gmail.com
कर्मिक: एफ()एफ.सी.ए/उवसं/2018/ 11707

दिनांक: 01/01/2019

निमित्त

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

188, उमोद हैस्टिज सतानाड़ा

जोधपुर-342011

विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018)

प्रसंग: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्र सं. 8वी/राज./06/30/2018/एफसी/560 दिनांक 31.12.2018 एवं अति प्रमुख एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्र सं. 4279-80 दिनांक 01.01.2019, मुवसं जोधपुर का पत्र सं 30 दिनांक 01.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र सं. 8वी/राज./06/30/2018/एफसी/560 दिनांक 31.12.2018 से निम्नलिखित शर्ताधीन उक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है जिसके संबंध में संदर्भित पत्र से अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि उच्च कार्यालय का उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने बाबत लिखा जा सके, शर्तों एवं वांछित पालना का विन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने आवनत वनभूमि (7.534 X 2 = 15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

अतः इस हेतु 1.64,100/-प्रति हैक्टर की दर से 15.068 हैक्टर हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रुपये 24,72,659/- ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007/एफसी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी है।

अतः प्रस्तावित 7.534 हैक्टर वनभूमि के लिए 4.38 लाख रुपये प्रति हैक्टर की दर से कुल राशि 32,99,892/- रुपये ऑनलाइन कैम्पा के निर्धारित खाते में जमा करायी जावे।

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रशीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार राशि कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0पी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

अतः इस क्रम में सक्षम अधिकारी का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

3. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लॉट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नहीं है।
अतः इस क्रम में भारत सरकार के पत्र सं. 506 दिनांक 19.11.2018 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित अनुसार सक्षम राजस्व अथारिटी से जारी किया गया उक्त आशय का अण्डर टेकिंग प्रस्तुत किया जावे कि "ग्राग बडली के खसरा न0 534 में उक्त परियोजना हेतु वांछित भूमि वनभूमि नहीं है।"

4. इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से 6 माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वनविभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।

इस क्रम में अपने स्तर से वांछित कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे तथा इस कार्यालय से वांछित कार्यवाही हेतु अवगत कराया जावे ताकि तदनुसार तत्काल पालना की कार्यवाही की जा सके।

5. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमासत्यों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

इस क्रम में अक्षरशः पालना करने हेतु वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि IIRC के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेन्च, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दी गयी आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा-निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

अतः इस क्रम में वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

7. वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वनविभाग की देख रेख में किया जायेगा।

अतः इस क्रम में वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

अतः इस क्रम में वांछित मक डिस्पोजल योजना बनाकर प्रस्तुत की जावे ताकि अग्रिम वांछित कार्यवाही की जा सके।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

अतः इस क्रम में वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के उपरान्त भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति एवं कार्यानुमति आदेश जारी होने से पहले मौके पर किसी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न की जावे। तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

11. कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफ0सी0 (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से कार्य अनुमति जारी न होने तक मौके पर किसी भी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रस्तुत की जाये।

12. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 31.12.2018 के निर्देशों की अनुपालना में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-1. सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 की प्रति

2. अति. प्रमुख सं. नोडल एफसीए के पत्र दिनांक 01.01.2019 की प्रति

भवदीय

(हनुमानाराम)

उप वन संरक्षक
जोधपुर

दिनांक

क्रमांक सं. /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए राज. जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में

उप वन संरक्षक
जोधपुर

4947
31.12.18

104



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/06/30/2018/एफ.सी./ 560

दिनांक: 31.12.2018

सेवा में,

शासन सचिव {वन},
राजस्थान सरकार, सिविल सचिवालय,
जयपुर।

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/32975/2018

विषय : Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section-I, Dangiawas (0+000) to Nagour Road (74+619) of Jodhpur district of Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक-प.1(67)वन/2018, दिनांक-28.12.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक - प.67)वन/2018, दिनांक-29.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-19.11.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 7.534 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन 63 वृक्षों के पातन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (7.537 x 2 = 15.068 ha.) अर्थात् 15.068 हे० पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लॉट सं० 534 की वन भूमि सम्मिलित नहीं है।

[Signature]
31/12/18

4. इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।
5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
7. वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख रेख में किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
11. कार्य प्रारंभ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफ0सी0(pt.), दिनांक-23.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003
3. उप वन संरक्षक, जोधपुर वन प्रभाग, जोधपुर, राजस्थान।
4. मैनेजर (टेक्निकल) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू 188 उमेद हरीटेज, रत्नदा, जोधपुर, राजस्थान।
5. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।


(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)